105

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1129-चार/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-9-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील

1- रजनीश कुमार पुत्र रामगीता
2- अरूणकुमार पुत्र रामगीता
3- गुलाव पुत्र रामगीता सभी ग्राम
हर्दी तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- लल्लूराम पुत्र रामसुन्दर
2- प्रभाकर प्रसाद पुत्र रामकृष्ण
अवयस्क संरक्षक मॉ केशकली
पत्नि रामकृषण ग्राम हर्दी तहसील सिरमौर
3- श्रीमती मुनिया पुत्री रामसुन्दर पत्नि कमलकांत
ग्राम सोरहिया तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 26-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार सिरमौर ने आदेश दिनांक 19-3-1990 से उभय पक्ष की सामिलाती भूमियों का बटवारा किया। नायव तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 49 अ 6/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 6-8-1991 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-08 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय में हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर संहिता की धारा 178 में विहित प्रावधानों के अनुसार बटवारा किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 6-9-08 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण की ओर से केबिएट दायर की गई थी, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार सूचना देने के वाद भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-08 में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में आये विवरण पर की गई विवेचना अनुसार नायव तहसीलदार के न्यायालय में रजनीश कुमार, अरूणकुमार आदि ने अनावेदकगण को पक्षकार बनाया है किन्तु इनके न्यायालाय में उपस्थित न होने के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि खसरे में रामसुन्दर वगैरह का नाम दर्ज है इसलिये रिकार्डेड भूमिस्वामियों को सुने बिना बटवारा आदेश पारित करना अपर आयुक्त ने नैसर्गिक न्याय का उल्लॅघन करना मानकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि यदि उभय पक्ष के बीच 1973 में किसी प्रकार का बटवारा हो गया था तब वर्ष 1990 तक उसका अमल न करना भी संदेह की परिधि में है जिसके कारण हितबद्व पक्षकारों को

सुने जाने हेतु एंव संहिता की धारा 178 में विहित बटवारा नियमों के अनुसार पुनः बटवारा करने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त ने भूल नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-08 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 209/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-08 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होने के कारण निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर